सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा अपने विभिन्न चैनलों के कार्यक्रमों की अनुसूची स्वयं तैयार की जाती हैं। डीडी-1 और डी-डी 2 पर राष्ट्रपति के संदेश को प्रसारित किया गया था। डीडी-3 की अनुसूची में कार्यक्रम समाचार आधारित तथा अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं जिसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रम कवर किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोट स्टाक एक्सचेंज का कार्यकरण उचित न होना

1292. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड ने राजकोट स्टाक एक्सचेंज के प्रबंधन और कार्यरकण में कुछ कमियां पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सेवी के अध्यक्ष ने इस एक्सचेंज के कार्यकरण और प्रशासनिक रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जतायी हैं; और

(घ) इस एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबीप्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसम्बर, 1995 में संचालित सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लि., राजकोट की अपनी जांच की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में कुछ विसंगतियां पायी। मुख्य विसंगतियां विवरण में दी गई हैं (नीचे देखिए)।

(ग) सेबी के अनुसार, इस संबंध में कुछ भी अभिलेखबद्व नहीं हैं।

(घ) सेबी प्रतिभूति बाजार तथा स्टाक एक्सचेंजों हेतु एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर इस एक्सचेंज के कार्यकरण का अनुवीक्षण कर रहा हैं। सेबी एक्सचेंज की जांच पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू करेगा।

विवरण

(i) एक्सचेंज की एक उचित संगठनात्मक संरचना नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक मुख्य कार्य हेतु अलग विभाग नहीं बनाए गए हैं।

(ii) पिछले एक वर्ष से एक्सचेंज किसी पूर्ण सक्षम कार्यपालक निदेशक तथा सचिव के बिना कार्य कर रहा हैं:

(iii) एक्सचेंज ने वर्ष 1995-96 के लिए अनुशासल नात्मक व्यतिक्रम तथा विवाचन समितियों का गठन अभी तक नहीं किया हैं;

(iv) एक्सचेंज ने बाजार की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया हैं।

Functioning of Peerless Investment Company

1293 SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints on the functioning of Peerless Investment Company: and

(b) if so, what steps are being contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Yes, Sir.

(b) Peerless General Finance & Investment Company Ltd. (PGFI) is a Residuary Non-Banking Company (RNBC) and its deposit acceptance activities are regulated under the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987 framed under Reserve Bank of India Act, 1934. In order to find out the position of compliance with the provisions of the RNBC Directions, a | detailed inspection was carried out in 1993 when violation of some of the core provisions of the Directions were observed. The Company was asked to take ,, remedial action and accounting aberrations were brought to the notice of the Institute of Chartered Accountants of India. As the compliance with RBI in-

structions issued after the inspection was not found satisfactory, RBI has taken up another inspection in 1995 with reference to Company's financial position as on 31.3.1995. On completion of the examination of the findings of the inspection, action, as appropriate, will be taken by RBI under the powers vested in it.

हेरोइन की तस्करी

1294. **श्री इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेशों से भारत में हेरोइन की तस्करी बढ़ने का ब्यौरा क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी हेरोइन जब्त की गई;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से भारत में हेरोइन की तस्करी बढ़ने का ब्यौरा क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी हेरोइन जब्त की गई;

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) स्वापक औषध अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया हैं अत: यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह बढ़ रही हैं अथवा नहीं। तथापि पश्चिम में गोल्डन क्रिसेन्ट (पाकिस्तान, अफगानिलस्तान, ईरान) तथा पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमाल रथा-इलैंड-लाओस) की निकटता के कारण भारत हेरोइन अवैध व्यापार के लिए संवेदनशीन हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान हेरोइन की जब्त की गई कुल भाग क्रमश: 1088 कि.ग्रा. 1011 कि.ग्रा. और 1543 कि.ग्रा. (अनंतिम) थी।

(ग) सभी प्रर्वतन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्याधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिए हैं। भारत-पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई हैं। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जो भूमि तथा समुद्र तट पर लगाए गए हैं, को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

हेरोइन बनाने के एक प्रारंभिक रसायन एसोटिक एन्हाइड्राइड को एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया हैं तथा एसेटिक एनहाइड्राइड के निर्माण वितरण विक्रय आयात, निर्यात तथा उपभोग के विनियमन करने के लिए विनियमन आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीमा शुल्क एक्ट के अंतर्गत भारत-पाक सीमा के 50 कि.मी. तथा भारत-म्यांमार सीमा के 100 कि.मी. के भीतर रसायन के संचलन को नियंत्रित किया गया हैं।

Formation of Interim Insurance Regulatory Authority

1295. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether an Interim Insurance Regulatory Authority has been formed; and

(b) if so, the major objectives of forming the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Interim Insurance Regulatory Authority (IIRA) was set up under the overall control of the Finance Ministry, as a precursor to the proposed statutory regulatory authority under a resolution issued by the Government on 23rd January, 1996. The Chairman of the IIRA will exercise the powers presently vested with the Controller of Insurance (COI). The IIRA will assist the Government in preparing a comprehensive legislation for ensuring healthy regulation, promotion and orderly growth of the insurance market and exercise such other non-statutory functions as may be assigned to it by the Central Government from time to time.

कटे-फटे तथा उपयोग में न लाए जा सकने योग्य करेंसी नोट

1296. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान वर्ष-वार देश में कटे-फटे एवं उपयोग में न लाए जा